



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-14112025-267656
CG-UP-E-14112025-267656

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4996]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947

No. 4996]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947

रेलवे मंत्रालय
[उत्तर मध्य रेलवे (गति शक्ति विभाग)]
अधिसूचना
झांसी, 30 अक्टूबर, 2025

का.आ. 5165(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित उप खंड, स्तंभ (4) में उल्लिखित जिले के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश झांसी: रायारू गुड्स शेड का विश्वस्तरीय गुड्स शेड के रूप में उन्नयन (चरण-1) की विशेष रेल परियोजना के सन्दर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण प्रबंधन और प्रन्वालन के लोक प्रयोजन के लिए के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त करती अधिनियम है। के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्रधिकृत करती है।

सारणी

क्रम सं.-	सक्षम प्राधिकारी	उप खंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील ग्वालियर	ग्वालियर ग्रामीण	ग्वालियर

[(ई.फा. सं. एन.सी.आर.-जे.एच.एस.ओ.जी.एस.यू/81/2025-O/o सी.पी.एम/जी.एस.यू/जे.एच.एस./एन.सी.आर
(कम्प्यूटर सं. 152503), दिनांक 19.09.2025)]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Gati Shakti Department)]

NOTIFICATION

Jhansi, the 30th October, 2025

S.O. 5165(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989, (24 of 1989), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) the Table below as 'competent authority' to perform the functions as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official gazette in respect of the Special Railway Project of **Jhansi: Upgradation of Rayaru goods shed as world class goods shed (Phase-1)** in the state of Madhya Pradesh relating to sub division mentioned in column (3), District mentioned in column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sr.No.	Competent Authority	Sub Division	District
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sub-Divisional Officer (Revenue) Tahsil Gwalior	Gwalior Gramin	Gwalior

[(e-F. No. NCR-JHS0GSU/81/2025-O/o CPM/GSU/JHS/NCR (Computer No: 152503), Date: 19.09.2025)]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative Officer (Con.)